

महत्वपूर्ण सूचना

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के खण्ड 4 तथा अनुलग्नक के पैरा 2 के विन्दु 9 के अनुसार "राशनकार्ड पहचान के दस्तावेज" हेतु प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

राजस्थान सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
सामान्य (ए.पी.एल.) श्रेणी का नवीन राशन कार्ड बनवाने हेतु आवेदन पत्र

कार्यालय उपयोग हेतु

आवेदन क्रमांक आवेदन की दिनांक

नया राशन कार्ड सं.

फोटो आवेदक (मुखिया)

(सत्यापित करावे)

3.5 x 3 सेमी

(सील यहां लगाए)

हस्ताक्षर आवेदक (मुखिया)

1. स्थान व सामान्य जानकारी - जिला* :

पंचायत समिति / नगरपालिका / परिषद / निगम* : वार्ड संख्या :

ग्राम पंचायत* : ग्राम* : (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू)

मतदाता पहचान पत्र क्रमांक :
उचित मूल्य की दुकान का नाम :
पुराने राशन कार्ड का क्रमांक :
सामाजिक आर्थिक जाति जन. क्रमांक :

आवेदक का नाम *	
वर्तमान पता *	
स्थायी पता (यदि वर्तमान से भिन्न हो तो)	
मोहल्ला	ग्राम व पोस्ट
तहसील	जिला
राज्य	PIN [] [] [] [] [] []

(लैंडमार्क / मोहल्ला / कॉलोनी / ढाणी)	PIN [] [] [] [] [] []
---------------------------------------	-----------------------------

आवास* : स्वयं का मकान <input type="checkbox"/> किरायेदार <input type="checkbox"/> अस्थायी <input type="checkbox"/> बेघर <input type="checkbox"/>	व्यवसाय* - नौकरी सरकारी <input type="checkbox"/> नौकरी अन्य <input type="checkbox"/> व्यापार <input type="checkbox"/>	मोबाइल नं.
मौजूदा पते पर रहने की अवधि वर्ष माह	स्वनियोजित <input type="checkbox"/> मजदूरी <input type="checkbox"/> खेती <input type="checkbox"/>	सम्पर्क दूरभाष नं. (स्वयं का नहीं होने पर)
	सेवा निवृत्ति <input type="checkbox"/> गृहणी <input type="checkbox"/>	
	बेरोजगार <input type="checkbox"/> अन्य <input type="checkbox"/>	

2. मुखिया व पूरे परिवार का विवरण (क्रम सं. 1 पर मुखिया का नाम व अन्य जानकारी ही भरी जावे)

(परिवार में सदस्यों की संख्या 8 से अधिक होने पर क्रम सं. 9 से आगे की सूचना अलग पृष्ठ पर पते के साथ दें)

क्र. सं.	नाम*	माता का नाम*	पिता का नाम*	जीवन साथी का नाम (केवल विवाहित सदस्य हेतु)	लिंग* M/F/Other	जन्म दिनांक*	मुखिया से संबंध*	यूनिक आईडी क्रमांक (UID)	विकलांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1							स्वयं		
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

(नोट- ** चिन्हित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है)

3. गैस कनेक्शन, आय व बैंक खाते से सम्बन्धित सूचना

गैस कनेक्शन (टिक करें) नहीं <input type="checkbox"/> सिंगल <input type="checkbox"/> डबल <input type="checkbox"/>	गैस एजेन्सी कम्पनी (टिक करें) Indane <input type="checkbox"/> Bharat Gas <input type="checkbox"/> HP <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/>	एजेन्सी :	गैस कनेक्शन उपभोक्ता क्रमांक :
वार्षिक आय (पूरे परिवार की) :* (रुपये)	आयकर दाता * हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	पैन कार्ड सं.	
बैंक :	शाखा :	बैंक खाता सं.:	

उपरोक्त (बिन्दु संख्या 1 से 3 में) दी गई जानकारी सत्य है तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है

संलग्नक- (अधिकतम 3)

1-

2-

3-

हस्ताक्षर आवेदक (मुखिया) व दिनांक

4. आवास की सूचना में किरायेदार की स्थिति में मकान मालिक की सत्यापन रिपोर्ट -

यह मकान जिसमें श्री/सुश्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री श्री परिवार सहित अवधि से निवास कर रहे हैं। वह मेरी निजी सम्पत्ति है।

हस्ताक्षर मकान मालिक

5. प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री श्री निवासी ने नया राशन कार्ड बनवाने का जो प्रार्थना पत्र दिया है, इसमें जो विवरण दिये हैं मेरी जानकारी व विश्वास से सही हैं। इनकी प्रार्थना स्वीकार करने योग्य है।
(सदस्य लोकसभा/राज्यसभा/विधान सभा/ जिला परिषद्/नगर पालिका-परिषद्-निगम/पंचायत समिति/सरपंच/वार्ड पार्षद/पटवारी/ग्राम सेवक, राज पत्रित अधिकारी व केवल जयपुर नगर निगम क्षेत्र में सेक्टर/पोस्ट/डिवीजन वार्डन नागरिक सुरक्षा सेवा)

हस्ताक्षर
पद, मोहर व दिनांक

कार्यालय उपयोग हेतु

चैक लिस्ट	फोटो पासपोर्ट साइज सत्यापित व चिपकाया हुआ	निवास बाबत प्रमाण	मकान मालिक के हस्ताक्षर	प्रमाण पत्र पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर सील सहित
	आय सम्बन्धी जानकारी	पूरा भरा आवेदन पत्र	** अंकित सभी कालम पूर्ण रूप से भरे हुए	

6. सत्यापन रिपोर्ट

उपरोक्त तथ्यों की जांच मौके पर मेरे द्वारा कर ली गयी है। प्रार्थना पत्र स्वीकार्य/अस्वीकार्य कर राशन कार्ड जारी/जारी नहीं करना उचित होगा। आधार निम्न है -

हस्ताक्षर
पद, मोहर व दिनांक

7. आदेश

- आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संलग्न दस्तावेज/जांच निरीक्षक के क्रम में नवीन सामान्य (ए.पी.एल.) श्रेणी राशन कार्ड जारी करें।
- जांच अधिकारी के सत्यापन/कार्यालय रिपोर्ट के आधार पर आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है। आवेदक को सूचित करें।

आवृत्त उचित मूल्य की दुकान का क्रमांक, नाम व पता:

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी
पद, मोहर व दिनांक